

विद्यया ऽ मृतमश्नुते

(आवेदन पत्र सहित)

उत्तर प्रदेश शासन एवं होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त
निजी क्षेत्र में संचालित होमियोपैथिक भैषजिक (फार्मासिस्ट) के दो वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु

डिप्लोमा इन होमियोपैथी फार्मसी प्रवेश परीक्षा

(Diploma in Homoeopathy Pharmacy
Entrance Test)

2018-19

संयोजक

डी एच पी प्रवेश परीक्षा

कानपुर पैरामेडिकल ट्रेनिंग सेन्टर

पता :- L-432, केशवपुरम्, आवास विकास.1, निकट ब्रह्मदेव चौराहा
कल्यानपुर, कानपुर - 208017

सम्पर्क सूत्र :- 9506573103, 9005532371, 9044585286
website : www.kpmtc.in

प्रदेश के निजी क्षेत्र में संचालित संस्थाओं में डिप्लोमा इन होमियोपैथी फार्मसी प्रशिक्षण हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2018-19

- आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस विवरणिका में दिये गये निर्देश भली-भाँति पढ़ लें एवम् परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व सम्बन्धित निर्देशों को पढ़कर जायें। किसी भी जानकारी के लिए संस्था के दूरभाष नम्बर पर सम्पर्क करें।
- अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई 2018 को 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी की जन्मतिथि 3 जून 2001 या उसके पूर्व होनी चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जायेगी।
- अभ्यर्थी इण्टरमीडिएट परीक्षा गणित या जीव विज्ञान के साथ भौतिक एवं रसायन विज्ञान से उत्तीर्ण होना चाहिए।
- आवेदन-पत्र (विवरण पुस्तिका एवं परीक्षा शुल्क सहित) निम्न स्थान/संस्थान से रु. 400.00 (चार सौ मात्र) के नगद भुगतान कर प्राप्त करें।
- निगेटिव मार्किंग : प्रवेश परीक्षा में निगेटिव मार्किंग है। प्रत्येक गलत उत्तर पर ¼ अंक कुल प्राप्त अंकों से कटेंगे तथा प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक प्राप्त होगा।
- काउन्सलिंग फीस रु० 300.00 प्रति छात्र देय होगी, जो काउन्सलिंग के समय नगद देय होगी।
- फार्म (आवेदन-पत्र) साथ में दिये गये लिफाफे में ही भेजें। फार्म एवं लिफाफे को बिल्कुल भी न मोंड़े अन्यथा I.C.R. वाला फार्म खराब हो जायेगा।
- सत्र प्रारम्भ होने की तिथि माह सितम्बर - 2018
- उत्तर-पुस्तिका (ओ.एम.आर.) को परीक्षा के समय खाली न छोड़ें।
- इस प्रशिक्षण से सम्बन्धित समस्त न्यायिक वादों का वादकारी/न्यायिक क्षेत्र लखनऊ होगा।
- लिखित परीक्षा का स्तर इण्टरमीडिएट / समकक्ष के पाठ्यक्रम के अनुसार होगा, सामान्य ज्ञान में भी इसी स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे।

नोट : उक्त होमियोपैथी फार्मसिस्ट ट्रेनिंग करने के उपरान्त सरकारी सेवा में लिया जाना बाध्यकारी नहीं है। किन्तु गत वर्ष 2015 में, उक्त ट्रेनिंग प्राप्त होम्योपैथिक डिप्लोमाधारियों के लिए, सरकारी सेवा हेतु लगभग 640, पदों हेतु अधीनस्थ चयन बोर्ड, उ०प्र० द्वारा चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि इतनी बड़ी संख्या में उक्त डिप्लोमा प्राप्त होम्योपैथिक फार्मसिस्ट उपलब्ध भी नहीं थे।

आवेदन करने का तरीका

आवेदन-पत्र (विवरण पुस्तिका एवं परीक्षा शुल्क सहित) निम्न स्थान/संस्थान से रु.400.00 (रूपये चार सौ मात्र) के नगद भुगतान कर प्राप्त करें।

आवेदन-पत्र दिनांक 5 अगस्त 2018 तक प्राप्त किये जा सकते हैं तथा पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन-पत्र निम्नलिखित किसी संस्था/स्थान में स्वयं जाकर दिनांक 5 अगस्त 2018 को सायं 6.00 बजे तक जमा किया जा सकता है

(कालेज का नाम व पता)

(सीटों की संख्या)

100

1. कानपुर पैरामेडिकल ट्रेनिंग सेन्टर
एल-432, केशवपुरम् आवास विकास-1, निकट ब्रह्मदेव चौराहा,
कल्यानपुर, कानपुर-208017
मो. 9506573103, 9005532371, 9044585286
2. उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड
2, नबीउल्लाह रोड, लखनऊ।
फोन: 0522-2961801
3. अन्य संस्थान
 - (i) माँ वैष्णो इंस्टीट्यूट आफ पैरामेडिकल
कालेज, कानपुर नगर
कोर्स-
 - आयुर्वेद फार्मासिस्ट
 - आयुर्वेद उपचारिका
 - D.M.L.T. एवं PG. D.M.L.T.
 - (ii) उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक कालेज
कोर्स-
 - योगाचार्य MA Yoga (2 वर्ष)
 - पी.जी डिप्लोमा Yoga (1 वर्ष)
 - योग प्रमाण पत्र (6 माह)

नोट - प्रशिक्षण केन्द्र में सीटों की संख्या शासन द्वारा बढ़ायी या घटाई जा सकती हैं।

आवेदन -पत्र भरने का तरीका

आवेदन पत्र ICR पैटर्न का है "कृपया बहुत सावधानी पूर्वक अन्तिम पृष्ठ पर दिये गये नमूने के अनुसार भरें"

आवेदन-पत्र की जाँच की प्रक्रिया क्योंकि ICR (इन्टेलीजेन्ट कैरेक्टर रीडर) कम्प्यूटर द्वारा होगी अतः ICR भरते वक्त सभी वाँछित सूचनाएँ त्रुटिहीन भरना आवश्यक है। आवेदन-पत्र ICR पैटर्न का है। जैसा आप लिखेंगे वैसा ही कम्प्यूटर पढ़ेगा। उचित होगा कि आवेदन-पत्र की फोटोकापी करवाकर उसे प्रयोग के तौर पर भर लें। सन्तुष्ट होने के बाद स्वयं हस्तलिपि में मूल आवेदन पत्र भरें।

ICR शीट को सावधानीपूर्वक भरें, कटिंग या ओवर राइटिंग न करें। ICR शीट को न मोड़ें और न ही स्टैपल करें अन्यथा स्कैनिंग गलत होगी।

ICR शीट एक लिफाफे में दिया जा रहा है। पूर्ण भरें ICR को उसी लिफाफे में रखें। उस लिफाफे में कोई और दस्तावेज न रखें बाकी के दस्तावेज अलग से मूल लिफाफे में ICR लिफाफे के साथ रखें। जिसे आप उपरोक्त लिखित संस्था व विज्ञापन में दिये गये केन्द्र के पते पर स्वयं जाकर जमा कर सकते हैं।

5 अगस्त 2018 की सायं 6.00 बजे के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आवेदन-पत्र की फोटोकापी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी, ऐसे फार्म बिना पूर्व सूचना के निरस्त कर दिये जायेंगे।

अपूर्ण आवेदन-पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के अस्वीकार कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई भी पत्र-व्यवहार नहीं किया जायेगा और न ही परीक्षा शुल्क ही वापस किया जायेगा।

गलत सूचना दिये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन/प्रवेश किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जायेगा। वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है, जिसका न्यायिक/वादकारी क्षेत्र लखनऊ होगा।

एक बार आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात आरक्षण श्रेणी में परिवर्तन सम्बन्धी कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

आवेदन-पत्र के प्रारूप के साथ यह विवरणिका देने का मुख्य उद्देश्य यह है कि अभ्यर्थियों को चयन/प्रशिक्षण प्रक्रिया सम्बन्धी समस्त जानकारी प्राप्त हो सके एवं भ्रान्तियों का निवारण हो सके निर्देशित किया जाता है कि इस विवरणिका को फार्म भरने अथवा किसी भी भ्रम की स्थिति में बार-बार पढ़ लें अथवा भ्रम की स्थिति में उपरोक्त लिखित संस्था के फोन नं. पर पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

संलग्नक

1. पूर्णतः भरे हुए आवेदन-पत्र पर अभ्यर्थी के हाल ही में खिंचाये गये रंगीन फोटोग्राफ निर्दिष्ट स्थान पर अच्छी तरह चिपकाकर स्व प्रमाणित तिथि सहित सत्यापित होना चाहिए।
अपेक्षित है कि अभ्यर्थी इसी फोटो की छः प्रतियां भविष्य के लिए बनवा लें। एक प्रशिक्षण में एक ही तरह के फोटोग्राफ इस्तेमाल करें। फोटो रंगीन हों तथा सामने से चेहरा साफ-साफ दिखना चाहिए।

2. हाईस्कूल परीक्षा के अंक-पत्र व प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. इण्टरमीडिएट परीक्षा के अंक-पत्र व प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. वाँछित आरक्षण का लाभ लेने वाले निर्धारित प्रारूप प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।
5. उ.प्र. का मूल निवासी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र देना अति आवश्यक है।
6. यदि अभ्यर्थी शासकीय सेवारत है तो सेवायोजन से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लगायें।

सम्बन्धित प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं स्पष्ट सील (मोहर) होने पर ही मान्य होंगे। मूल प्रमाण-पत्र चयन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी प्रमाण-पत्र की मूल प्रतिलिपि आवेदन-पत्र के साथ न भेजें।

प्रवेश-पत्र

आवेदन-पत्र की स्कूटनी की प्रक्रिया के पश्चात् प्रवेश-पत्र (Admit Card) पर अंकित अनुक्रमांक तथा परीक्षा केन्द्र की सूचना अन्तिम तिथि के पश्चात मोबाइल पर एस.एम.एस. द्वारा दी जायेगी। प्रवेशपत्र परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारम्भ होने से 1 घण्टे पहले उपलब्ध करा दिया जायेगा।

लिखित प्रवेश परीक्षा केन्द्र

लिखित परीक्षा केन्द्र कानपुर नगर के स्कूल को ही बनाया जायेगा।

परीक्षा से सम्बन्धित निर्देश

1. परीक्षा केन्द्र : प्रवेश पत्र में परीक्षा केन्द्र का पूर्ण पता, परीक्षा तिथि व लिखित परीक्षा का समय अंकित होगा।
2. परीक्षा केन्द्र में निर्धारित समय से कम से कम 30 मिनट पूर्व आकर बैठने के कक्ष का विवरण पता कर लें।
3. प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर रोल नम्बर की सूची प्रदर्शित की जायेगी, उसमें अभ्यर्थियों के बैठने के कक्ष का विवरण होगा। सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे अपने-अपने कक्ष में अपनी निर्धारित सीटों पर बैठ जायें। परीक्षा में कैलकुलेटर, लॉग टेबल या किसी भी प्रकार का संचार उपकरण सेल्युलर फोन, मोबाइल आदि लाना वर्जित है।
4. परीक्षा प्रारम्भ होते ही आपस में किसी प्रकार की बातचीत या प्रश्नपत्र के विषय में चर्चा करना मना है।
5. किसी भी प्रकार की शंका का निवारण कक्ष निरीक्षक द्वारा किया जायेगा।
6. परीक्षा 2 घण्टों में सम्पन्न करायी जायेगी। वर्तमान परीक्षा निम्नलिखित पद्धति पर ली जायेगी, पर उसमें यदि शासन द्वारा कोई परिवर्तन किया गया हो तो नई विधि लागू होगी।
7. लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र में फिजिक्स, केमिस्ट्री, सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं बायोलॉजी अथवा गणित विषयों के इण्टरमीडिएट स्तर के प्रश्न होंगे। कृपया ध्यान दें कि लिखित परीक्षा में निगेटिव मार्किंग है अर्थात् किसी भी प्रश्न के गलत उत्तर होने पर $\frac{1}{4}$ अंक कुल प्राप्त अंकों से कटेंगे तथा प्रत्येक सही उत्तर पर एक अंक प्राप्त होगा। अतः प्रश्नों के उत्तर सोच समझकर भरें। सलाह दी जाती है कि समय व प्रश्नों की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पत्र हल करें।
8. प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम में दिया जायेगा। प्रत्येक प्रश्न के चार सम्भावित हल (विकल्प) होंगे अर्थात् वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में दी जायेगी। (दूसरी प्रति कार्बनलेस पेपर पर है।)
9. उत्तर पुस्तिका 5 (पाँच) खण्डों में विभाजित होगी। पहला खण्ड फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा हिन्दी, चौथा सामान्य ज्ञान एवं पाँचवाँ गणित या बायोलॉजी का होगा। गणित या बायोलॉजी का एक ही खण्ड है। उत्तर पुस्तिका में गणित अथवा बायोलॉजी के विषय दिखाने वाले गोले को अवश्य काला कर दें। प्रत्येक खण्ड में 24 प्रश्नों के उत्तर भरे जा सकेंगे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ खण्ड के उत्तर क्रमांक सीरियल अंकों में होगा। अर्थात् 01 से 96 तक होंगे। पाँचवे खण्ड में 97 से 120 तक के उत्तर क्रमांक होंगे। इसमें अपनी पसन्द के विषय (गणित अथवा बायोलॉजी के उत्तर भरें) प्रश्न पत्र में गणित/बायोलॉजी के प्रश्नों की संख्या 97 से 120 के ही हैं। उत्तर (ओ.एम.आर.) में विषय से सम्बन्धित गोले गणित अथवा बायोलॉजी अवश्य ही इंगित करना है।
10. प्रश्न पत्र हल करने के उपरान्त उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंप देनी है।
11. उत्तर पुस्तिका पर निर्धारित सूचनाओं के अलावा कुछ और लिखना या निशान बनाना अथवा मोड़ना सख्त मना है।

अनुचित साधनों का प्रयोग

अभ्यर्थी द्वारा किसी भी तरह के अनुचित साधनों का प्रयोग किसी भी स्तर पर किया जाता है अथवा गलत सूचना, प्रमाण पत्र आदि दिये जाते हैं तो उसे प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया से तत्काल अलग कर दिया जायेगा।

परीक्षा प्रक्रिया

1. उत्तर पुस्तिका ओ.आर.एम. (Optical Mark Reader) पैटर्न की होगी उसको भरने की प्रक्रिया आगे सम्बन्धित खण्ड में परीक्षा हेतु उदाहरण के रूप में दी गयी है। उत्तर पुस्तिका परीक्षा के समय द्वितीय प्रति (कार्बनलेस कापी) के साथ उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे अभ्यर्थी को ले जाने की छूट होगी। उत्तर पुस्तिका की प्रथम प्रति प्रश्न-पत्र के साथ ही कक्ष निरीक्षक के पास जमा करनी होगी। यहाँ दी गई ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिका नमूने की है तथा परीक्षा में दी जाने वाली ओ.एम.आर. से भिन्न डिजाइन की हो सकती है।
2. प्रवेश परीक्षा में निगेटिव मार्किंग है। प्रत्येक गलत उत्तर पर $\frac{1}{4}$ अंक कुल प्राप्त अंकों से कटेंगे तथा प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक प्राप्त होगा।
3. उत्तर पुस्तिका (ओ.एम.आर.) को परीक्षा के समय कोरी (खाली) न सौंपें। कोरी उत्तर पुस्तिका को कक्ष निरीक्षक ब्रास/काट देंगे।
4. प्रवेश परीक्षा के समय परीक्षा केन्द्र से उत्तर पुस्तिका अथवा प्रश्न-पत्र किसी भी दशा में ले जाने की भूल न करें। अन्यथा तत्काल नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
5. लिखित परीक्षा के समय कक्ष निरीक्षक द्वारा एक सूची पर आपसे हस्ताक्षर कराये जायेंगे। उस सूची में आपका नाम, आरक्षण श्रेणी एवं इण्टरमीडिएट के कुल अंक आदि होंगे। उनको देखकर यदि उसमें व फार्म में भरे विवरण में कोई अन्तर हो तो उसको सही कर देने की सलाह दी जाती है। परिवर्तन कर कक्ष निरीक्षक को सूचित कर दें। कोई भी नई सूचनायें इस स्तर पर स्वीकार नहीं होंगी।

काउन्सलिंग

लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग हेतु बुलाया जायेगा। काउन्सलिंग की सूचना आपको मोबाइल पर एस.एम.एस द्वारा भी दी जायेगी। जहाँ वे उपलब्धता व मेरिट के आधार पर ही अपने प्रशिक्षण केन्द्र का चयन कर सकेंगे।

काउन्सलिंग के समय लाने वाले दस्तावेज :

1. हाईस्कूल परीक्षा के अंक-पत्र व प्रमाण-पत्र की मूल एवं प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. इण्टरमीडिएट परीक्षा के अंक-पत्र व प्रमाण-पत्र की मूल एवं प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. वांछित आरक्षण का लाभ लेने वाले निर्धारित प्रारूप प्रमाण-पत्र की मूल एवं प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. उ०प्र० का मूल निवासी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र।
5. यदि अभ्यर्थी शासकीय सेवारत है तो विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

काउन्सलिंग का तरीका :

काउन्सलिंग में मेरिट क्रम में छात्रों को काउन्सलिंग समिति के समक्ष बुलाया जायेगा।

काउन्सलिंग शुल्क :

काउन्सलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व रु. 300.00 का शुल्क जमा करना होगा।

काउन्सलिंग में बुलाने का क्रम :

- काउन्सलिंग में सबसे पहले हॉरिजाण्टल आरक्षित श्रेणियों को बुलाया जायेगा। स्वतन्त्रता सेनानी विकलांग (विकलांग प्रमाण-पत्र सहित) भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) को इसी क्रम में बुलाया जायेगा। इसके बाद अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) के अभ्यर्थियों को बुलाया जायेगा।
- इनसे रिक्त सीटों को उनकी श्रेणी में जोड़ने के बाद ही शेष काउन्सलिंग कम्बाइण्ड मेरिट सूची के आधार पर की जायेगी। मेरिट में प्रथम 50 प्रतिशत सीटों के लिए अभ्यर्थी (सभी श्रेणी के) और उन्हें प्रशिक्षण केन्द्र व सीटों को, अपने क्रम के समय उपलब्ध सीटों में से चुनने की स्वतन्त्रता होगी। इस कम्बाइण्ड मेरिट सूची में अर्ह आरक्षित श्रेणी के छात्रों को अपनी इच्छानुसार श्रेणी तथा सीटें चुनने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।
- उदाहरणतार्थ यदि आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी अपने मेरिट क्रम में, अपनी पसंद के केन्द्र में सीट नहीं पाता है, परन्तु उस पसन्द के केन्द्र में उसे अपनी श्रेणी में सीट मिल जाती है तो उसका चयन कर सकता है परन्तु तब उसका चयन, आरक्षित श्रेणी में माना जायेगा।
- कुल सीटों से ज्यादा अभ्यर्थी बुलाये जायेंगे जिससे अनुपस्थित अभ्यर्थियों की रिक्त सीटों पर प्रवेश कर सकें। परन्तु बुलाने का यह अर्थ नहीं लगाया जाये कि उन्हें अवश्य ही चयनित कर लिया जायेगा।
- यदि कोई अभ्यर्थी स्वयं काउन्सलिंग के निर्धारित दिन व समय में उपस्थित नहीं होता है तो वे केवल उसी दिन की काउन्सलिंग में आवंटन से वंचित होगा और अगली काउन्सलिंग में भाग लेने के लिए अर्ह रहेगा। उसी दिन अथवा बाद में आने पर उस समय उपलब्ध सीटों में से ही आवंटन प्राप्त करने का अधिकार होगा। आवंटन हेतु अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- काउन्सलिंग के तुरन्त बाद ही छात्र का आवंटन पत्र दे दिया जायेगा। जिसे प्राप्त करने के बाद तत्काल फीस जमा कर निर्धारित तिथि के अन्दर ही प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश लेना होगा। ज्वानिंग की तिथि किसी भी दशा में बढ़ाई नहीं जायेगी।

प्रशिक्षण मे चयन

यह डिप्लोमा केवल एक तकनीकी शैक्षिक योग्यता मात्र है। इसको प्राप्त करने व होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड में पंजीकरण उपरान्त अभ्यर्थी निजी अथवा सरकारी केन्द्रों में नौकरी करने का पात्र हो जायेगा।

यह प्रशिक्षण पूर्णकालिक है। प्रशिक्षण 2 वर्ष व तीन माह की अनिवार्य इन्टर्नशिप के साथ है। होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड उ.प्र. इसकी परीक्षक संस्था है।

प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश लेते समय लाने वाले दस्तावेज :

1. हाईस्कूल की मूल एवं प्रमाणित छाया प्रति।
2. इण्टरमीडिएट की मूल एवं प्रमाणित छाया प्रति।
3. वांक्षित आरक्षण की मूल एवं प्रमाणित छाया प्रति।
4. उ.प्र. मूल निवासी की मूल एवं प्रमाणित छाया प्रति।
5. यदि अभ्यर्थी शासकीय सेवारत है तो विभागाध्यक्ष से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लगायें।

शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रशिक्षण में चयन होने के उपरान्त प्रशिक्षण केन्द्र प्रभारी द्वारा जांच व आप द्वारा जमा किये गये प्रमाण-पत्रों की फोटोकापी से मिलान करके जमा कर लेंगे, जो प्रशिक्षणोपरान्त वापस कर दिये जायेंगे।

प्रशिक्षण शुल्क (परिवर्तनीय)

प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण शुल्क	रु. 40,000.00
प्रवेश शुल्क	रु. 5000.00
काशन मनी	रु. 5000.00

काशनमनी प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात वापस की जायेगी।

आरक्षण/आरक्षित स्थान

(कृपया संलग्नक एक व दो देखें)

उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश के अनुसार आरक्षण देय होंगे। यदि शासन द्वारा कोई आदेश निर्गत होते हैं तो उनका पालन किया जायेगा।

आरक्षण सम्बन्धित शर्तें :

- (क) 1. संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।
2. उन सभी अभ्यर्थियों को जो कि किसी श्रेणी में आरक्षण चाहते हों, उनसे अपेक्षा की जाती है कि संलग्नकों में दिये गये प्रपत्र संख्या-1, 2, 3, 4 दिये गये प्रोफार्मों के अनुसार ही प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
3. अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बन्धित आरक्षण अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को आवंटित कर दिया जायेगा।

4. आवेदन पत्र भरते समय निश्चित कर लें कि आप किस श्रेणी में आरक्षण चाहते हैं एवं अपनी पात्र श्रेणी में ही आरक्षण हेतु आवेदन करें। कृपया ध्यान दें, आरक्षण श्रेणी में किसी भी तरह का परिवर्तन बाद में सम्भव नहीं होगा।
5. केवल जाति सूचक शब्दों के लिखने से आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। नियमानुसार वांछित आरक्षण का लाभ लेने हेतु प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि आवश्यक है। बिना प्रमाण-पत्र के आवेदन पत्र आवेदक सामान्य श्रेणी में माना जायेगा।
6. अस्पष्ट अथवा निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में प्रमाण-पत्र न होने की दशा में भी श्रेणी सामान्य की रखी जायेगी और फार्म जमा होने के पश्चात बदला नहीं जायेगा।

(ख) आरक्षण के अन्दर आरक्षण :

उदाहरणार्थ :

विशेष आरक्षण यथा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी/विकलांग व भूतपूर्व सैनिकों के कुल प्रतिशत की मेरिट सूची सम्मिलित रूप से अलग-अलग बनायी जायेगी व उसमें निम्नवत् प्रवेश दिया जायेगा। स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का वास्तविक आश्रित अभ्यर्थी यदि प्रदत्त आरक्षण के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग का है तो उसे अन्य पिछड़े वर्ग के लिए ही आरक्षित सीटों में समायोजित किया जायेगा। इसी प्रकार यदि विकलांग अभ्यर्थी को प्रदत्त आरक्षण के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या सामान्य श्रेणी का है तो उसे अनुसूचित जाति या सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित सीटों में ही समायोजित किया जायेगा।

कानपुर पैरामेडिकल ट्रेनिंग सेन्टर

एल-432, केशवपुरम, आवास विकास-1, कल्याणपुर, कानपुर नगर - 208017

Ph. (Office) : 9005532371, Mob. : 9506573103, 8765378494

E-mail : kptckanpur@gmail.com • www.kptc.in

आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट (2 वर्ष)

मान्यता - इण्डियन मेडिसिन बोर्ड लखनऊ द्वारा मान्यता प्राप्त।

योग्यता - इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (बायो/गणित) विषयों के साथ उत्तीर्ण, आयु न्यूनतम 17 वर्ष।



आयुर्वेदिक उपचारिका "नर्सिंग" (3 वर्ष 6 माह)

मान्यता - इण्डियन मेडिसिन बोर्ड लखनऊ द्वारा मान्यता प्राप्त।

योग्यता - इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण, आयु न्यूनतम 17 वर्ष।



सभी वर्गों के छात्रों के लिए समाज कल्याण द्वारा छात्रवृत्ति की सुविधा

होमियोपैथिक फार्मासिस्ट (2 वर्ष)

मान्यता - उ0 प्र0 होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड लखनऊ द्वारा मान्यता प्राप्त।

योग्यता - इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (बायो/गणित) विषयों के साथ उत्तीर्ण, आयु न्यूनतम 17 वर्ष।

डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टैक्निशियन (D.M.L.T.) (2 वर्ष)

मान्यता - ऑल इण्डिया मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोशिएशन।

योग्यता - इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (बायो/गणित) विषयों के साथ उत्तीर्ण, आयु न्यूनतम 17 वर्ष।



पी0 जी0 डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टैक्निशियन (D.M.L.T.) (1 वर्ष)

मान्यता - ऑल इण्डिया मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोशिएशन।

योग्यता - B.Sc (बायो/गणित) विषयों के साथ उत्तीर्ण, आयु न्यूनतम 21 वर्ष।

उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक कॉलेज

पंचायतघर, रामपुर रोड, हल्द्वानी - 263139 (नैनीताल) उत्तराखण्ड

Ph (Office) : 7055209700, 7055209701, 7055209702 • Mob. : 9997489176

E-mail : ukachald@gmail.com, • www.uttarakhandayurvediccollege.in

योगाचार्य M.A. Yoga (2 वर्ष)

मान्यता - उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार।

योग्यता - स्नातक किसी भी वर्ग से या समकक्ष।

पी0 जी0 डिप्लोमा Yoga (1 वर्ष)

मान्यता - उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार।

योग्यता - स्नातक किसी भी वर्ग से या समकक्ष।

योग प्रमाण-पत्र (6 माह)

मान्यता - उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार।

योग्यता - इण्टरमीडिएट किसी भी वर्ग से या समकक्ष।



उ0 प्र0 के विद्यार्थियों के लिए सरकारी नौकरी में सुनहरे अवसर।

उत्तर प्रदेश शासन एवं होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड द्वारा
मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्र

★ कानपुर पैरामेडिकल ट्रेनिंग सेन्टर

एल-432, केशवपुरम् आवास विकास-1, निकट ब्रह्मदेव चौराहा,
कल्यानपुर, कानपुर-208017

मो. 9506573103, 9005532371, 9044585286

★ उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक मेडिसिन बोर्ड

2, नबीउल्लाह रोड, लखनऊ।

फोन: 0522-2961801